वार्षिक रिपोर्ट 2000 - 2001 . ANNUAL REPORT 2000-2001



ग्राहक संबंधों पर बैंकिंग BANKING ON CUSTOMER RELATIONSHIPS



निदेशक मंडल THE BOARD OF DIRECTORS



श्री के. चेरियन वर्गीज़ Shri K. Cherian Varghese



श्री पी. के. गुप्ता Shri P. K. Gupta



डॉ. तरुण दास Dr. Tarun Das



श्री जी. के. शर्मा Shri G. K. Sharma



श्री वाल्टर लसादो Shri Walter Lasrado



श्री के. वेणुगोपाल Shri K. Venugopal



श्री शैलेन्द्र स्वरूप Shri Shailendra Swarup



श्री सुरिन्दर सिंह भसीन Shri Surinder Singh Bhasin



श्री वी. के. चानना Shri V. K. Chanana



श्री वी. गणपति पई Shri B. Ganapathi Pai



श्री के. के. जी. पिल्लै Shri K. K. G. Pillai



श्री दुश्यंत त्यागी Shri Dushyant Tyagi

कार्पीरेशन बेंक

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2000 - 2001

विषय - सूची CONTENTS

	पृष्ठ Page	
अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Statement		
सूचना Notice		
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report		
प्रवंधन-वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis		
कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance		
तुलन-पत्र Balance Sheet		
लाभ-हानि लेखा P & L Account		
तुलन-पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ Schedules annexed to the Balance Sheet 6		
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies		
लेखों की भागस्वरूप टिप्पणियाँ Notes forming part of accounts		
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report		
नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement		
निष्पादन की विशिष्टताएँ Performance <mark>Highlights</mark>		
ank Securities Ltd		
प्रॉक्सी फार्म Proxy Form		
उपस्थिति पत्रक Attendance Slip		
रजिस्ट्रार एवं शेयर	Registrar & Share	
अंतरण एजेंट	Transfer Agent	
कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लिमिटेड 46, एवेन्यू 4 स्ट्रीट नं. 1 वंजारा हिल्स हैदराबाद - 500 034 दूरभाष: 040 - 3312454 3320751 फैक्स: 040 - 3311968	Karvy Consultants Ltd. 46, Avenue 4 Street No. 1 Banjara Hills Hyderabad - 500 034 Tel: 040-3312454 3320751 Fax: 040-3311968	
	Discussion and Analysi Governance	

कार्पेरेशन बेंक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारको,

- 1. आपके वैंक की चौथी वार्षिक सामान्य वैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।
- 2. वर्ष 2000-2001 हेतु आपके वैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखना मेरे लिए खुशी की वात है। जैसे कि परंपरा रही है, आपके वैंक ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान फिर से उत्साहवर्धक कार्य-परिणाम दर्ज किए हैं।
- 3. 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष हेतु 25.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए सकल लाभ रु. 532.06 करोड़ तक वढ़ गया। निवल लाभ में भी 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई और यह रु. 261.84 करोड़ रहा। यह उत्साहवर्धक वृद्धि मुख्यतः निवल व्याज मार्जिन के वेहतर प्रवंधन और व्याजेतर आय में क्रमिक वृद्धि के कारण संभव हुआ है। समग्र लाभप्रदता की स्थिति को देखते हुए निदेशक मण्डल ने, भारतीय रिज़र्व वैंक के अनुमोदन के अध्यधीन 40% लाभांश का प्रस्ताव रखा है।
- 4. आपके वैंक ने शेयरधारक सम्पत्ति में काफी मूल्य वर्धन किया है। आपके वैंक की निवल मालियत पिछले वर्ष के दौरान रु.1,144.76 करोड़ से 17.7% बढ़ी है और रु.1,347.70 करोड़ रही। आपके वैंक का सतत श्रेष्ठ अर्जन वर्ष के दौरान ईपीएस और प्रति शेयर वही मूल्य दोनों में तींब्र वृद्धि के रूप में प्रतिविवित हुआ है। प्रति शेयर अर्जन वर्ष हेतु रु.19.37 से रु.21.82 तक बढ़ गया। प्रति शेयर वही मूल्य भी रु.95.40 से रु.112.31 तक बढ़ गया।
- 5. पहली वार वैंक का कुल कारोवार रु.25,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया और यह 31 मार्च, 2001 को रु.25,226.24 करोड़ रहा। वैंक की जमाराशियाँ पिछले वर्ष से 15.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.2,280.51 करोड़ वढ़कर रु.16,560.14 करोड़ रहीं। निवल अग्रिम 11.4% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए रु.888.64 करोड़ वढ़कर रु.8,666.10 करोड़ तक पहुँच गया।
- 6. 31 मार्च, 2001 को आपके वैंक का निवल एनपीए अनुपात 1.98% रहा जो देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वैंकों में न्यूनतम में से एक है।



- 7. मैं आपके वैंक के सभी स्तरों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समर्पण भाव हेतु, जिससे यह उत्साहवर्धक निष्पादन संभव हुआ है, अपनी सराहना अभिलिखित करता हूँ।
- 8. दक्षता में विश्व स्तर को हासिल करने की दिशा में आपके वैंक ने अच्छे कार्पोरेट अभिशासन की संहिता अपनाई है और यूएस गैप के अंतर्गत वैंक, वित्तीय विवरण प्रकाशित करता रहा है।
- 9. बैंक की वृद्धि के साथ शेयरधारक मूल्य में भी सुधार होना चाहिए। इस दिशा में, आपके बैंक ने एक दीर्घावधि योजना- विज़न 2006 तैयार की है जिसमें वित्तीय तत्वों, दक्षता, प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाओं में विश्व स्तर सहित सर्वाधिक अधिमान प्राप्त बैंक के रूप में कार्प बैंक परिवार के उभरने की कल्पना की गई है।
- 10. आपका वैंक भावी चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग एवं संरक्षण से आपका वैंक वृहत्तर ऊँचाइयों को छूएगा।

अपका,

(के. चेरियन वर्गीज़) 6 जून, 2001

2

Corporation Bank

FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

- 1. I am immensely happy to extend a hearty invitation to you to the fourth Annual General Meeting of your Bank.
- 2. It is my pleasure to place before you your Bank's Annual Report for the year 2000 2001. As is the tradition, your Bank has yet again recorded encouraging working results during the FY 2000 2001.
- 3. The Gross Profit improved to Rs.532.06 crore, registering a growth of 25.2% for the year ended 31st March 2001. The Net Profit also recorded a growth of 12.6% and stood at Rs. 261.84 crore. This encouraging growth has been possible mainly due to better management of Net Interest Margin and steady growth in non-interest income. Keeping in view the overall profitability position, the Board of Directors have proposed a dividend of 40%, subject to the approval of the Reserve Bank of India.
- 4. Your Bank added substantial value to the shareholders' wealth. The net worth of your Bank increased by 17.7% from Rs.1,144.76 crore during the previous year and stood at Rs.1,347.70 crore. The continued good earnings of your Bank are reflected in terms of steep increase in both EPS and Book Value per Share during the year. The EPS improved from Rs.19.37 to Rs.21.82 for the year. The Book Value per Share also improved from Rs. 95.40 to Rs.112.31.
- 5. For the first time, the total business of the Bank crossed mile stone mark of Rs. 25,000 crore and stood at Rs. 25,226.24 crore as on 31st March 2001. The deposits of the Bank improved by Rs.2,280.51 crore recording a growth of 15.97% over the previous year and stood at Rs.16,560.14 crore. The net advances increased by Rs.888.64 crore to reach Rs.8,666.10 crore, registering a growth rate of 11.4%.
- 6. The Net NPA ratio of your Bank stood at 1.98% as on 31st March 2001, which is one of the lowest amongst the public sector banks in the country.



- 7. I place on record my appreciation for the dedication of the staff and officers of your Bank at all levels, which made the encouraging performance possible.
- 8. In the direction of attaining global standards of efficiency, your Bank has adopted the code of good Corporate Governance and has been publishing the Bank Financial Statements under US GAAP.
- 9. Growth of the Bank should result in improvement of shareholders value. In this direction, your Bank has drawn a long-range plan VISION 2006 the shared vision of the CorpBank family to emerge as the Most Preferred Bank with Global Standards in Financials, Efficiency, Technology, Products and Services.
- 10. Your Bank is in readiness to meet the challenges of future and I am sure, with your kind support and patronage, your Bank will scale greater heights.

Yours sincerely,

(K. Cherian Varghese)

6th June 2001

कार्पोरेशन बेंक

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001 द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

एतद्द्वारा मूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन वैंक के शेयरधारकों की चतुर्थ वार्षिक सामान्य वैठक शुक्रवार 3 अगस्त, 2001 को अपराह्न 2.30 बजे, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन वैंक, प्रधान कार्यालय, पांडेश्वर, मंगलूर - 575001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित संव्यवहार किया जाना है :

"वैंक का 31.03.2001 का तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष हेतु वैंक का लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए वैंक के कार्य-निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल.की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श"

क नेरियन नालि

• (के. चेरियन वर्गीज़)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 6 जून, 2001

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, उसे, अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्राक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम 4 दिन पहले, अर्थात् शनिवार, 28 जुलाई, 2001 को कार्यालय समय की समाप्ति से पहले ही वैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

वैंक के शेयरधारक किसी कंपनी निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति, वैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जिस वैठक में वह पारित किया गया हो उस वैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित करते हुए, वैठक से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 28 जुलाई, 2001 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व, मुख्य प्रबंधक, कार्पोरेशन वैंक, निवेशक संपर्क विभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलूर - 575 001 में प्रस्तुत न की जाए ।

3. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही संलग्न किया गया है । शेयरधारकों / प्रांक्सीधारकों / प्रांधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक वैठक-स्थान के प्रवेश-द्वार पर सौंप दें । शेयरधारकों के प्रांक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वे उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति "प्रांक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" अंकित करें ।

Corporation Bank

CORPORATION BANK

HEAD OFFICE: MANGALADEVITEMPLE ROAD, MANGALORE - 575001

D. K. DIST., KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Fourth Annual General Meeting of the shareholders of CORPORATION BANK will be held on Friday, the 3rd August 2001 at 2.30 p.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Pandeshwar, Mangalore – 575001, to transact the following business:

"To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31.3.2001, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2001, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts"

Place : Mumbai

Date: 6th June 2001

(K. Gherian Varghese)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 28th July 2001.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Chief Manager, Corporation Bank, Investors' Relations Department, H. O., Mangalore - 575 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 28th July 2001.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

कार्पोरेशन बैंक

4. शेयरधारक - रजिस्टर को बंद करना

चतुर्थ वार्षिक सामान्य वैठक के सिलसिले में तथा वैंक द्वारा यदि कोई लाभांश घोषित किया गया हो तो उसे प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वैंक का शेयरधारक - रजिस्टर और शेयर अंतरण वहियाँ, वुधवार, 25 जुलाई, 2001 से शुक्रवार, 3 अगस्त, 2001 तक (दोनों दिनों सिहत) वंद रहेंगी ।

5. लाभांश का भुगतान

वैंक के निदेशक वोर्ड द्वारा घोषित लाभांश,यदि कोई हो, का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम 24 जुलाई, 2001 को, वैंक के शेयरधारकों / एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा बताए गए हिताधिकारी स्वामियों के रिजस्टर में मौजूद हैं। ऐसे शेयरधारकों को वैंक द्वारा शेयर अंतरण एजेंट, अर्थात् कार्वी कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट, वैंक के निदेशक वोर्ड द्वारा लाभांश घोषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रेषित किए जाएंगे।

6. लाभांश वारंट में बैंक खाते के विवरण

वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई को रोकने के उद्देश्य से, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी वैंक खाता संख्या (चालू/वचत), वैंक का नाम और उस शाखा का नाम प्रस्तुत करें जहाँ वे लाभांश वारंटों को भुनाई हेतु जमा करना चाहते हैं । लाभांश वारंट के चेक हिम्से में शेयरधारक के नाम के साथ ये विवरण मुद्रित किए जाएंगे तािक इन वारंटों को शेयर धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भुनाया जा सकेगा। उपर्युक्त विवरण प्रथम / एकमात्र धारक द्वारा फोलियों संख्या / ग्राहक आईडी तथा डीपी आईडी संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संवंधी व्योरे आदि वताते हुए सीधे हैदराबाद के शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किए जाने चािहए ।

7. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) - (ईसीएस) नमूना अधिदेश फार्म

भारतीय रिज़र्व वैंक ने इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) प्रणाली का आरंभ किया है जो प्रस्तुतः 45 केन्द्रों में उपलब्ध है । गत वर्षों में ईसीएस का विकल्प लेनेवाले शेयरधारकों से वैंक को वहुत कम अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने यह फार्म भर कर नहीं भेजा है तथा जो ईसीएस द्वारा लाभांश की चुकौती का विकल्प लेना चाहते हैं, वे यह फार्म भर कर भेज सकते हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है । शेयरधारकों द्वारा इससे पहले प्रस्तुत ईसीएस अधिदेश में परिवर्तन, यदि हो तो, हैदराबाद में हमारे शेयर अंतरण एजेन्टों को सूचित करें।

8. तुलन-पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर डाक से भेजी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं।

9. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि वैठक में कोई उपहार / कूपन नहीं वितरित किया जाएगा ।

10. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

10.1 कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियम, 1998 के विनियम 68(i) में कार्पोरेशन वैंक के शेयरधारकों के मतदान अधिकारों की घोषणा की गई है । चतुर्थ वार्षिक सामान्य वैठक की तारीख से पहले, सदस्य-रजिस्टर के वंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को, हस्त-प्रदर्शन पर एक बोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक बोट होगा ।

10.2 अधिनियम की धारा 3(2ङ) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, अनुरूपी नए वैंक का कोई भी शेयरधारक, उसके द्वारा धारित शेयर, वैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रति शत से अधिक होने पर, उन शेयरों के मामले में उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

Corporation Bank

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 25th July 2001 till Friday, the 3rd August 2001 (both days inclusive) in connection with the Fourth Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, if any, declared by the Bank.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if any, declared by the Board of Directors of the Bank, will be paid to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL, as on 24th July 2001. The dividend warrants to such shareholders would be mailed by the Bank through the Share Transfer Agents, viz, Karvy Consultants Limited, within thirty days from the date of declaration of the dividend by the Board of Directors.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT

In order to prevent fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their Bank account number (Current / Savings), the name of the Bank and Branch, where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant beside the name of the shareholder, so that these warrants cannot be encashed by any one other than the shareholder. The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agents at Hyderabad, quoting the folio number/Client ID & DP ID number, number of shares held, details of holdings, etc.

7. ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING)-(ECS) MODELMANDATE FORM

The Reserve Bank of India has introduced Electronic Clearing Service (Credit Clearing) system which is presently available in around 45 centres. The Bank has received very few requests from the shareholders opting for ECS in the previous years. The shareholders who have not sent this form duly filled in and still intend to opt for the dividend to be paid through ECS, may submit the form which is annexed to this Annual Report. Any changes in the ECS mandate already submitted by the share holders may be informed to the Share Transfer Agents at Hyderabad.

8. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

9. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift / coupon will be distributed at the meeting.

10. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

10.1 The voting rights of shareholders of Corporation Bank have been enunciated in Regulation 68(i) of the CORPORATION BANK GENERAL REGULATIONS 1998. Each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register prior to date of Fourth Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

10.2 In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

कार्पेरेशन बेंक

निदेशकों की रिपोर्ट

1. 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बैंक के निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है ।

2. कुल व्यापार :

- 2.1. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल व्यापार की दृष्टि से बैंक का निष्पादन नई ऊँचाइयों को छू गया। बैंक का व्यापार रु.25,000 करोड़ के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया और 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए रु.25,226.24 करोड़ तक पहुँच गया।
- 2.2. वैंक की कुल जमाराशियाँ 15.97 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 31 मार्च 2000 के रु.14279.63 करोड़ से रु.2280.51 करोड़ की वढ़त से 31 मार्च 2001 को रु.16560.14 करोड़ तक पहुँच गईं ।
- 2.3. वैंक ने ऋण जोखिम प्रवंधन संबंधी अपनी नीति के अनुरूप ऋण का विस्तार करने में सजग दृष्टिकोण अपनाया है। कुल वकाया ऋण 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 31 मार्च 2000 के रु.7777.47 करोड़ के स्तर से रु.888.64 करोड़ बढ़ते हुए 31 मार्च 2001 को रु.8666.10 करोड़ तक पहुँच गए ।

3. वित्तीय परिणाम :

- 3.1. जहाँ तक लाभ को अधिकतम बनाने और लाभग्रदता का प्रश्न है, वर्ष 2000-2001 वैंक के लिए एक और सफलतापूर्ण वर्ष रहा है । प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन से वांछित परिणाम प्राप्त हुए और शेयरधारकों के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई।
- 3.2. आस्ति-देयता प्रवंधन के प्रभावी माध्यम से जमाराशियों और अग्रिमों के कीमत-निर्धारण की सतत् निगरानी और सुस्पष्ट जोखिम प्रवंधन प्रणाली के माध्यम से जोखिम के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा बैंक व्याज कीमत-लागत अंतर को वरकरार रखते हुए उसे सुधार पाया है ।

4. आय विश्लेषण :

4.1. वर्ष के दौरान पीएलआर में की गई कटौतियों के वावजूद बैंक व्याज आय को बढ़ाने के साथ-साथ जमाराशियों की लागत को घटा सका है और व्याजेतर आय में यथोचित वृद्धि दर्शा सका है । (रु. करोड़ में)

मापदंड	2000-2001 (अप्रैल-मार्च)
व्याज आय	1804.54
ब्याज व्यय	1223.21
निवल ब्याज <mark>आय</mark>	581.33
शुल्क, कमीशन <mark>एवं अ</mark> न्य राजस्व	292.09
निवल परिचालनात्मक आय	873.42
परिचालनात्मक व्यय	341.36
सकल लाभ	532.06
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	135.07
कर पूर्व लाभ	396.99
कर हेतु प्रावधान	135.15
निवल लाभ	261.84

4.2. इसके परिणामस्वरूप, कुल आय (ब्याज आय और शुल्क, कमीशन, राजस्व सहित व्याजेतर आय) पिछले वित्तीय वर्ष के 5.1875.20 करोड़ से 5.221.43 करोड़ (11.8%) की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 5.2096.63 करोड़ तक वढ़ गया। कुल व्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के 5.1604.39 करोड़ की तुलना में 5.200.15 करोड़ (12.5%) की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 5.1804.54 करोड़ तक पहुँच गयी।